

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय व्ययक अनुभाग)

क्रमांक : प.4(231)(वित्त-1)(1)आय व्ययक/2016/

दिनांक 10.11.17

कोषाधिकारी,
सचिवालय, जयपुर।


(स्वीकृति संख्या 440 /2017-18)

विषय : वित्तीय वर्ष 2017-18 में नगर परिषद/पालिकाओं को पंचम राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत स्वीकृत राशि में विभागीय स्तर पर काटी गयी राशि का समायोजन।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर की संशोधित स्वीकृति क्रमांक प.6(ट)(160) लेखा/डीएलबी/एसएफसी/2017/16983-17189 दिनांक 02.11.2017 (प्रति संलग्न) के अनुसार राशि रुपये 4655.33 लाख (अक्षरे रुपये छियालीस करोड़ पचपन लाख तैतीस हजार मात्र) का निम्न बजट मद में व्यय अंकित करते हुये निम्नानुसार बजट मदों में समायोजन/हस्तांतरण कर दिया जावे:-

विकलेय मद	जमा मद
मांग संख्या 29	
2217 - शहरी विकास	01. कार्यकारी निदेशक RUDSICO, के निजी निक्षेप खाता संख्या 169 में हस्तांतरण 4205.29 लाख
80 - सामान्य	
192 - नगरपालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता	02. कार्यकारी निदेशक RUDSICO, के निजी निक्षेप खाता संख्या 5303 में हस्तांतरण 239.00 लाख
(14) - राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान	
[01] - राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान	03. बजट मद (-) 4217-60-050-(03)-[00]-17 वृहद् निर्माण राज्य निधि 88.64 लाख
12 - सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन)(राज्य निधि)	04. निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग के निजी निक्षेप खाते संख्या 3792 में हस्तान्तरण 122.40 लाख
राशि रुपये 4655.33 लाख	
कुल योग-	राशि रुपये 4655.33 लाख
	कुल योग- राशि रुपये 4655.33 लाख

भवदीय

(जसवन्त सिंह)
संयुक्त शासन सचिव वित्त (बजट)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. प्रधान महालेखाकार, लेखा एवम् हक/लेखा परीक्षा-I राजस्थान, जयपुर।
02. प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
03. निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्थानीय निकाय विभाग, राज0 जयपुर।
04. कार्यकारी निदेशक RUDSICO जयपुर।
05. परियोजना निदेशक, RUIDP जयपुर।
06. संयुक्त सचिव वित्त (व्यय-III) विभाग, राजस्थान जयपुर।
07. अनुभाग अधिकारी, वित्त (बजट) विभाग।
08. अतिरिक्त निदेशक, कम्प्यूटर सेल, वित्त विभाग, जयपुर।
09. सुरक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव वित्त (बजट)

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

G-3, Raj Mahal Residency Area, Civil Line Phatak, Jaipur

वेबसाइट- www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

ई-मेल- caodlb@gmail.com

टेलीफोन/फैक्स नं - 0141-2223074

क्रमांक : प.6(ट)(160)लेखा/DLB/SFC/2017/16983

दिनांक : 11.11.2017

—: संशोधित स्वीकृति आदेश ::—

नगर परिषद/पालिकाओं को वर्ष 2017-18 में पंचम राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत जारी विभागीय स्वीकृति क्रमांक प.6(ट)(160)लेखा/DLB/SFC/2017/12232-438 दिनांक 12.09.2017 जारी की गई थी। वित्त विभाग के पत्र क्रमांक प.1(3)वित्त/व्यय-3/2010 दिनांक 06.10.2017 के क्रम में राष्ट्रीय आवास बैंक से संबंधित कटौतियों को शामिल किये जाने के कारण संशोधित स्वीकृति आदेश क्रमांक प.6(ट)(160)लेखा/DLB/SFC/2017/17190-477 दिनांक 02.11.2017 (स्वीकृति संलग्न) द्वारा विभागीय स्तर पर राशि रुपये 4655.33 लाख की कटौति की गयी है।

उक्त राशि रुपये 4655.33 लाख (अक्षरे रुपये छियालीस करोड़ पचपन लाख तैतीस हजार मात्र) कोष कार्यालय, सचिवालय जयपुर के माध्यम से निम्न बजट मदों में व्यय अंकित करते हुए निम्न बजट मद में समायोजित/हस्तांतरित किये जाने की निम्नानुसार संशोधित स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

मांग संख्या 29	जमा मद
2217 - शहरी विकास	01. कार्यकारी निदेशक RUDSICO, के निजी निक्षेप खाता संख्या 169 में हस्तांतरण योग्य राशि 4205.29 लाख
80 - सामान्य	02. कार्यकारी निदेशक RUDSICO, के निजी निक्षेप खाता संख्या 5303 में हस्तांतरण योग्य राशि 239.00 लाख
192 - नगरपालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता	03. बजट मद (-) 4217-60-050-03-00-17 वृहद निर्माण आयोजना (आरयूआईडीपी का द्वितीय चरण का अंशदान) 88.64 लाख
(14) - राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान	04. निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग के निजी निक्षेप खाते संख्या 3792 में हस्तान्तरण योग्य राशि (CMAR के अंशदान एवं मुख्यमंत्री शहरी जनकल्याण शिविरों हेतु) 122.40 लाख
[01] - राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान	
12 - सहायता अनुदान (गैर संवेतन)(राज्य निधि)	
राशि रुपये 4655.33 लाख	
कुल योग-	राशि रुपये 4655.33 लाख

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-3) विभाग की सहमति आई.डी.क्रमांक 171700946 दिनांक 30.08.2017 के क्रम में जारी की गयी है।

16983-17189

(पवन अरोड़ा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

दिनांक : 11.11.2017

क्रमांक : प.6(ट)(160)लेखा/DLB/SFC/2017/

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, राज0 जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त स्वीकृति अनुसार राशि रुपये 4655.33 लाख सम्बन्धित मद में समायोजन/हस्तान्तरण की स्वीकृति जारी कराने हेतु।
2. कार्यकारी निदेशक, Rajasthan Urban Drinking Water Sewerage and Infrastructure Corporation Limited (RUDSICO) जयपुर।
3. परियोजना निदेशक, RUIDP जयपुर।
4. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, सचिवालय, जयपुर।
5. समन्वयक, CMAR निदेशालय, जयपुर।
6. आहरण एवं वितरण अधिकारी, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर को स्वीकृति में अंकित राशि का हस्तान्तरण विभाग के निजी निक्षेप खाते में जमा होना सुनिश्चित कराने हेतु।
7. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त।
8. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, समस्त नगर परिषद/पालिकायें।
9. अंक मिलान शाखा/बजट शाखा।
10. प्रभारी IT प्रकोष्ठ/प्रभारी ई-गवर्नेंस/समन्वयक, सीएमएआर को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
11. सुरक्षित पत्रावली।

मुख्य लेखाधिकारी